



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ  
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,  
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

पत्रांक सं० : पी०जीआई/सम्पत्ति/एच-588/ 89 /2026

दिनांक: 11.03.2026

### कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं० पीजीआई/सम्पत्ति/एच-109/487/14 दिनांक 22.10.2014 के क्रम में तत्काल प्रभाव से संस्थान परिसर में रिक्त आवासों को समान श्रेणी में ही पूर्व आवंटित आवास से परिवर्तन हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है-

1. निम्नांकित रिक्त आवासों में से किसी एक आवास हेतु अध्यासी पूर्व आवंटित आवास से समान श्रेणी के आवास में परिवर्तन हेतु माह के द्वितीय सोमवार से तृतीय सोमवार तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
2. प्राप्त आवेदनों में वर्तमान वरिष्ठता के आधार पर आवास परिवर्तन हेतु आदेश सम्पत्ति विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे ।
3. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने एवं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे ।
4. प्राप्त आवेदनों में नियुक्ति तिथि एक होने पर नियमानुसार आवास आवंटित किया जायेगा ।
5. अध्यासित एक से अधिक उसी श्रेणी के आवास परिवर्तन पर विकल्प दे सकता है ।

उपरोक्त के क्रम में- (क) दिनांक 10.03.2026 को संस्थान परिसर स्थित परिवर्तन योग्य रिक्त आवासों की सूची निम्न है-

श्रेणी	आवास सं०	कुल रिक्त
टाईप-5ए	05,15	(total=02)
टाईप-5	×	(total=00)
टाईप-5बी	01	(total=01)
टाईप-4	Old Campus: 21 New Campus: × Tilak Tower: ×	(total=01)
टाईप-3	37,39, 303(NF)	(total=03)
टाईप-2ए	02, 32, 50, 174, 191	(total=05)
टाईप-1	07,08,09,11,12,15,20,21,28,29,30,31,33,44,45,46,47,48,49,54,56,57,61,62,63,64, 65,68,69,70,72,73,75,76,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,112,114, 115,116,117,119,121,124,125,126,131,133,138,139,140	(total=64)

नोट: अध्यासित यदि एक से अधिक आवास का कब्जा अपने पास रखा है, की दशा में आवास परिवर्तन का पात्र नहीं होगा ।

(ख) परिवर्तन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 18.03.2026

संलग्नक : प्रार्थना पत्र का प्रारूप

  
सम्पत्ति अधिकारी

#### प्रतिलिपि :

01. समस्त विभागाध्यक्ष को ई-मेल/ई-आफिस के माध्यम से इस आशय से सूचनार्थ कि वह अपने अधीनस्थ संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें ।
02. विभागाध्यक्ष बायोस्टैटिस्टिक्स से अनुरोध है कि उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें ।
03. अधीक्षण अभियंता (विद्युत)/(सिविल)
04. नोडल अधिकारी, सुरक्षा विभाग
05. समस्त नोटिस बोर्ड

  
सम्पत्ति अधिकारी